FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उप खण्ड अधिकारी ...... मुकाम नीमराना

मुन्शी सिंह ...... बनाम अनीता चौधरी वगैरह

दावा ...... नं० 195 सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
आज यह वाद पत्र वकील वादीगण ने पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ते हो चुकी है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये रजिस्ट्री सम्मन तलबाना से तलब हो। वादी रजि० तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते रजि० तलबी दिनांक 16-8-22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	
16.8.22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] उपस्थित। वकील पेश हुए। तामील प्रा० नहीं। प्रकरण में 12 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पेश किया तामील प्रा० नहीं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ने VT की। प्रा०	VT प्रतिवादी सं० 1 की ओर से [signature] 16/8/22 [illegible]

18 [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21-3-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.4.23 को पेश हो। [signature] रीडर	
16.8.23 आज यह पत्रावली वादी वकील के प्रा०पत्र पर तलब होकर पेश हुई। प्रा०पत्र में अंकित किया है कि वादपत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जावे। इस पर वादी वकील को प्रा०पत्र सुनाया गया। प्रा०पत्र स्वीकार किया। वादी द्वारा वाद पत्र नोट प्रेस करने पर वादी का वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	नोट प्रेस [signature] 16/8/23

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

इजलास अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

सुनीलसिंह पुत्र श्री सुरजभानसिंह सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला सांगा वगै0 तह0 नीमराना

बनाम

अनीता कंवर पत्नी श्री अरूणसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़वास वगै0 तह0 नीमराना.

मिसल मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट न0 158 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	06.06.2022 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः अप्रार्थी सं. 1 लगा. 15 को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 115,113,110, 111, 303,304,630,631,636,112 कुल किता 10 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वास्ते रजिस्टर्ड तलबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 16/08/2022को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
[illegible]	आज यह पत्रावली पेश हुई। [illegible] द्वारा कार्य [illegible] किये जाने का [illegible] पेश किया है। पत्रावली [illegible] आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय [illegible] को पेश है। रीडर
16-8-[illegible]	आज यह पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी [illegible] निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर) राज.